RNI No. MAHENG/2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३९] गुरूवार, डिसेंबर १०, २०१५/अग्रहायण १९, शके १९३७ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ७१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ८ दिसंबर, २०१५ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

L. A. BILL No. LXI OF 2015.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA ADVOCATES WELFARE FUND ACT, 1981.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६१ सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ में संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९८१ का महा. ६१.

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिऐ, महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ में संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के, — सन् १९८१ का महा. ६१।

(क) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) " अधिवक्ता " का तात्पर्य, व्यक्ति, जिसका नाम, अधिवक्ता अधिनियम की धारा १७ के अधीन महाराष्ट्र और गोवा की विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार तथा पोषित किए गए अधिवक्ता पंजी में दर्ज किया गया हो और जो महाराष्ट्र राज्य में अधिवास करता हो और किसी विधिज्ञ संघ का सदस्य हो, से है ;" ;

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(गक) " संशोधन अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५, से है ;" ; सन २०१५ का महा....।

(ग) खण्ड (ङ) में, " महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद " शब्दों के पश्चात्, " और गोवा " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(घ) खण्ड (छ) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(छ) " आश्रित " का तात्पर्य, पत्नी, पति, पिता, माता, नाबालिग बच्चों या कोई विवाहित बेटी, जो तलाकशुदा है, या जो निधि के सदस्य पर आश्रित है, से है; " ;

(ङ) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(छ क) " निधि का विद्यमान सदस्य " का तात्पर्य, अधिवक्ता, जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर निधि का सदस्य है, से है; " ;

"(छ ख) " निधि " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन अधिवक्ता कल्याण निधि से है; " ;

(च) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ञ क) " निधि से सेवानिवृत्ति " का तात्पर्य, निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पंद्रह वर्षों के लिए, सदस्य बनने के पश्चात् निधि के किसी सदस्य की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, से है; " ;

(छ) खण्ड (ण) में, " चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये " शब्दों के पश्चात्, " और कोई प्राधिकारी पत्र सम्मिलित होगा " शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा ३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (ञ) में, " वार्षिक " शब्द अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १२ में संशोधन।

४ मूल अधिनियम की धारा १२ की, उप-धारा (६) में, " उप-धारा (५) " शब्दों, कोष्टकों और अंको के पश्चात् " यथासंभव शीघ्र, किंतु, किसी मामले में, ऐसी लेखा रिपोर्ट की प्राप्ति या निदेशों के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर " शब्द जोडे जायेंगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १५ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १५ की, उप-धारा (२) में, " प्रत्येक विधिज्ञ परिषद " शब्दों के पश्चात्, " धारा १४ की उप-धारा (१) के अनुसार मान्यताप्राप्त और रजिस्टीकृत " शब्द, कोष्टक तथा अंक निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १६ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १६ की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " लागू हो सकेंगे " शब्दों के स्थान में, (एक) " लागू होंगे " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) निम्न परंतुक जोडा जायेगा, अर्थात् :——

" परंतु, प्रत्येक अधिवक्ता जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर निधि का विद्यमान सदस्य नहीं है, वह उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन करेगा। "।

(ख) उप-धारा (३) में,——

(एक) खण्ड (एक) में, " बारह वर्षों या अधिक अवधि के लिये, दो सौ रुपये होंगे " शब्दों के स्थान में, " दस वर्षों या अधिक अवधि के लिये, एक हजार रूपये होंगे " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (दो) में, " बारह वर्षों से कम अवधि के लिये, सौ रूपये होंगे " शब्दों के स्थान में " दस वर्षों से कम अवधि के लिये, पाँच सौ रूपये होंगे " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) "और ऐसे आवेदन " शब्दों से शुरू होनेवाले और " आवेदन के साथ देय " शब्दों से समाप्त होनेवाला प्रभाग अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) उप-धारा (४) में, " भुगतान की गयी प्रवेश फीस की पहली किश्त " शब्दों के स्थान में " भुगतान की गई आवेदन फीस " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (५) और (६) के स्थान में, निम्न उप-धाराएँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

" (५) निधि का प्रत्येक सदस्य, निम्न रित्या में अंशदान के रूप में दस हजार रुपये केवल भुगतान करेगा, अर्थात् :—

(एक) जब अधिवक्ता का काल, निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के समय दस या अधिक वर्षों का हो, तब वह उक्त रकम एक ही समय में एकमुश्त में भुगतान करेगा ;

(दो) जब अधिवक्ता का काल निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के समय दस वर्षों से कम हो, तब वह उक्त रकम एकमुश्त में या चार समान वार्षिक किश्तों में शर्त के साथ कि, पहली किश्त के भुगतान के पश्चात् शेष तीन किश्तें, उत्तरवर्ती तीन वर्षों में, सम दिनांक पर देय होगी :

परंतु, निधि के विद्यमान सदस्य, उक्त अंशदान की रकम, का, संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व उनके द्वारा भुगतान की गई वार्षिक अंशदान की कटौती के पश्चात् भुगतान करेगा।

परंतु आगे यह कि, संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक के पश्चात् , —

(क) विद्यमान सदस्यों का काल उक्त दिनांक पर दस या अधिक वर्षों का हो तो, ऐसे प्रारंभण से एक वर्ष के भीतर, बकाया अंशदान का भुगतान करेगा ; और

(ख) विद्यामान सदस्यों का काल उक्त दिनांक पर दस वर्षों से कम हो तो, बकाया अंशदान एकमुश्त में या चार समान किश्तों में, शर्त के साथ कि, पहली किश्त का ऐसे प्रारंभण के एक वर्ष के भीतर भुगतान करेगा और शेष तीन किश्तें उत्तरवर्ती तीन वर्षों में, सम दिनांक पर देय होगी ।

(६) यदि, कोई अधिवक्ता उप-धारा (५) में अधिकथित रित्या में एकमुश्त अंशदान या, यथास्थिति, किश्त का भुगतान करने में विफल होता है, तब ऐसा अधिवक्ता, देय दिनांक से भुगतान के दिनांक तक की अदायगी न करने की अवधि के लिये प्रति माह रूपये पचास की शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा। " ;

(ङ) उप-धारा (७) में, —

(एक) " वार्षिक " शब्द अपमार्जित किया जाएगा ।

(दो) "अर्ध " शब्द अपमार्जित किया जाएगा ।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १७ में सशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में, ——

(क) उप-धारा (१) में, परंतुक, अपमार्जित किया जाएगा ;

(ख) उप-धाराएँ (२), (३) और (४) के स्थान में निम्न उप-धाराएँ, रखी जाएँगी, अर्थात् :—

"(२) (क) अनुसूची में यथावर्णित रकम की निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के दिनांक से पंद्रह वर्षों की समाप्ति के पश्चात्, किसी भी समय पर निधि का सदस्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र तथा हकदार होगा।

(ख) यदि कोई सदस्य, निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के दिनांक से पंद्रह वर्षों की समाप्ति से पहले किसी भी समय पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए चुनता है तब वह केवल उस रकम के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा जो कि उसने अदायगी के दिनांक से निधि से उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक वार्षिक ६ प्रतिशत दर पर ब्याज के साथ मिलाकर न्यासी समिति से अभिदान के रूप में भुगतान किया है।

(ग) व्यवसाय की स्थायी समाप्ति के परिणाम स्वरूप स्थायी निःशक्तता से त्रस्त सदस्य को निधि की उसकी सदस्यता के पंद्रह वर्षों की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति दी जाएगी और अनुसूची में यथावर्णित रकम की प्राप्ति के लिए वह हकदार होगा।

(३) ऐसे सदस्य के बारे में जिसकी मृत्यु उसके निधि में प्रवेश पाने के पंद्रह वर्षों के भीतर हुई हो, उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या, यथास्थिति, उसका विधिक वारिस अनुसूची में यथावर्णित दर पर रकम पाने के लिए हकदार होगा।

(४) संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के पश्चात्, यदि निधि का विद्यमान सदस्य, एक समय में देय अभिदान के पुनरीक्षित दर के आधार पर और धारा १६ की उप-धारा (५) में उपबंधित रीति में परिकालित उसके देय या उसके अभिदान के शेष एकमुश्त राशि में या किस्तों में भुगतान नहीं करता है और धारा १६ की उप-धारा (६) के अधीन दंड का भुगतान करने में वह असफल होता है तब वह उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर निधि से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और ऐसे निवृत्त समझे गए मामले में,——

उक्त संशोधन अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व यथा विद्यमान इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के उपबंधों द्वारा यथा उपबंधित लाभों के लिए,—

(एक) ऐसा सदस्य हक्कदार होंगा ; या

(दो) ऐसे सदस्य की मृत्यु के मामले में, उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या पारिवारिक सदस्य हकदार होंगे। " ;

(ग) उप-धारा (५) अपमार्जित की जाएगी ;

(घ) उप-धारा (७) अपमार्जित की जाएगी ;

(ड़) उप-धारा (८) में,—

(एक) "या (७)" शब्द, कोष्ठक तथा अंक अपमार्जित किए जाएँगे ;

(दो) " जैसा कि यह आवश्यक समझा है " शब्दों के पश्चात् " उक्त आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन महीनों की अवधि के भीतर तथा प्रतिदाय, यादि कोई हो, यथासंभव शीघ्र दिया जाएगा " शब्द जोडे जाएँगे।

सन् १९८१ का महा. ६१ की धारा १८ में सशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १८ की,—

(क) उप-धारा (१) में, " दो रूपये " शब्दों के स्थान में, " बीस रूपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में, " केवल निधि के सदस्यों को " शब्दों के पश्चात्, " विधिज्ञ संघ के या अधिवक्ताओं की ऋण उपभोक्ता सोसायटी या, यथास्थिति, विहित किसी अन्य अभिकरण के जरिए," शब्द जोड़े जाएंगे ;

(ग) उप-धारा (४) में, विधिज्ञ संघों के जरिए शब्दों के पश्चात्, अधिवक्ताओं की ऋण उपभोक्ता सोसायटी या, य़थास्थिति, विहित कोई अन्य अभिकरण, शब्द जोड़ा जाएगा ;

(घ) उप-धारा (५) में, " विधिज्ञ संघों " शब्दों के पश्चात्, " अधिवक्ताओं की ऋण उपभोक्ता सोसायटी या, यथास्थिति, विहित कोई अन्य अभिकरण," शब्द निविष्ट किये जाएँगे ;

(ड़) उप-धारा (६) में, " विधिज्ञ संघों " शब्दों के पश्चात्, " अधिवक्ताओं की ऋण उपभोक्ता सोसायटी, या विहित कोई अन्य अभिकरण," शब्द निविष्ट किये जायेंगे ।

९. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान में निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— सन् १९८१ का महा. ६१ की अनुसूची का प्रतिस्थापन।

" अनुसूची "

(धाराएँ ११ और १७ देखिए)

	रूपये
३० वर्षों की वकालत	रू. ३,००,००० .
२९ वर्षों की वकालत	रू. २,९०,०००
२८ वर्षों की वकालत	रू. २,८०,०००
२७ वर्षों की वकालत	रू. २,७०,००० .
२६ वर्षों की वकालत	रू. २,६०,०००
२५ वर्षों की वकालत	रू. २,५०,०००
२४ वर्षों की वकालत	रू. २,४०,०००
२३ वर्षों की वकालत	रू. २,३०,०००
२२ वर्षों की वकालत	रू. २,२०,०००
२१ वर्षों की वकालत	रू. २,१०,०००
२० वर्षों की वकालत	रू. २,००,०००
१९ वर्षों की वकालत	रू. १,९०,०००
१८ वर्षों की वकालत	रू. १,८०,०००
१७ वर्षों की वकालत	रू. १,७०,०००
१६ वर्षों की वकालत	रू. १,६०,०००
१५ वर्षों की वकालत	रू. १,५०,०००
१४ वर्षों की वकालत	रू. १,४०,०००
१३ वर्षों की वकालत	रू. १,३०,०००
१२ वर्षों की वकालत	रू. १,२०,०००
११ वर्षों की वकालत	रू. १,१०,०००
१० वर्षों की वकालत	रू. १,००,०००
९ वर्षों की वकालत	रू. ९०,०००
८ वर्षों की वकालत	रू. ८०,०००
७ वर्षों की वकालत	रू. ७०,०००
६ वर्षों की वकालत	रू. ६०,०००
५ वर्षों की वकालत	रू. ५०,०००
४ वर्षों की वकालत	रू. ४०,००० । "।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ (सन १९८१ का महा. ६१) महाराष्ट्र राज्य में अधिवक्ताओं के लिए कतिपय सेवानिवृत्ति और अन्य लाभों की अदायगी के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि के गठन और उसके उपयोग के लिए अधिनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियम में न्यासी समिति जो कि एक निगमित निकाय है उसमें उक्त निधि का प्रबंधन निहित है।

उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और निधि की वृद्धि करने के लिए, उक्त अधिनियम की धाराएँ २,३,१२,१५,१६,१७ और १८ में संशोधन करना तथा उससे संलग्न अनुसूची को प्रतिस्थापित करना इष्टकर समझा गया है। उक्त प्रयोजन के लिए यह प्रस्तावित करना है, —

(क) उक्त अधिनियम की धारा २ में संशोधन करने के लिए,——

(एक) जिसे अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (सन् १९६१ का २५) की धारा १७ के अधीन महाराष्ट्र तथा गोवा विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार और पोषित अधिवक्ता पंजी में नामांकित किया गया है और जो महाराष्ट्र राज्य में अधिवसित है और जो विधिज्ञ संघ का सदस्य है, इस प्रकार उक्त अधिनियम ऐसे अधिवक्ता को लागू करने के लिए, " अधिवक्ता " शब्द पुनः परिभाषित करने के लिए उसके खंड (क) को प्रतिस्थापित करने; और

(दो) इसका खण्ड (ङ) संशोधित करना ताकि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (सन् १९६१ का २५) की धारा ३ की उप-धारा (१) का खण्ड (ग ग ग) के उपबंधों की दृष्टि से, महाराष्ट्र विधिज्ञ परिषद् के नाम में परिवर्तन किया जा सके, जो यह उपबंध करता है कि महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के लिए एक विधिज्ञ परिषद् होगी और दादर और नगर हवेली और दमन तथा दीव संघ राज्यक्षेत्र को महाराष्ट्र और गोवा विधिज्ञ परिषद् के रूप में जाना जाए;

(तीन) " संशोधन अधिनियम " शब्द को परिभाषित करने के लिए, उक्त अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप, उसमें खण्ड (ग क) निविष्ट करना ;

(चार) " आश्रित " शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उसमें खण्ड (छ) प्रतिस्थापित करना ताकि उक्त शब्द की परिभाषा में विवाहित लड़की जो तलाकशुदा है या जो निधि के सदस्य पर आश्रित है उसे शामिल किया जा सके;

(पाँच) " निधि का विद्यमान सदस्य " और " निधि " शब्द परिभाषित करने के लिए, उक्त अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप उसमें खण्ड (छ क) और (छ ख) निविष्ट करना ;

(छह) " निधि से सेवानिवृत्ति " शब्द को परिभाषित करने के लिए उसमें खण्ड (त्र क) निविष्ट करना ताकि निधि की सदस्यता के पंद्रह वर्षों के बाद, निधि से या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सहयोजित करने हेतु निधि के सदस्य को अनुज्ञा दी जा सके ;

(सात) " **वकालतनामा** " शब्द को संशोधित करने के लिए उसके खण्ड (ण) में संशोधन करना ताकि उसमें कोई प्राधिकारी पत्र सम्मिलित किया जा सके ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा (३) की उप-धारा (२) के खण्ड (त्र) को संशोधित करना, परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा १६ की उप-धारा (५) और (७) के प्रस्तावित संशोधनों को किया जा सके ;

(ग) समय पर लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों के साथ अनुपालन करने के लिए न्यासी समिति पर कतिपय अतिरिक्त कर्तव्यों को अधिरोपित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा १२ में संशोधन करना ;

(घ) विधिज्ञ संघों की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण संबंधी विद्यमान उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा १५ में संशोधन करने ;

(ङ) पुनरीक्षित फीस के साथ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, २००१ (सन् २००१ का ४५) की धारा १८ की तर्जों पर, सभी अधिवक्ताओं के लिए निधि की सदस्यता अनिवार्य करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा १६ में संशोधन करना ;

(च) उक्त अधिनियम की धारा १७ में संशोधन करना ताकि नवीन सदस्यों, साथ ही साथ निधि के विद्यमान सदस्यों के लिए निधि के लाभ पहुँचाने के लिए उपबंध किया जा सके ;

(छ) निधि के स्त्रोतों की वृध्दि करने के लिए **वकालतनामा** पर चिपकाए जाने वाले स्टाम्प के मूल्य को बढाना और विधिज्ञ संघ के साथ अधिवक्ताओं की उपभोक्ता सोसायटी या किसी अन्य विहित अभिकरणों के ज़रिए स्टाम्पों का वितरण और विक्रय करने के लिए भी उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा १८ में संशोधन करना;

(ज) अधिनियम के अधीन लाभों को बढाने के लिए उक्त अधिनियम को संलग्न अनुसूची को प्रतिस्थापित करना ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुंबई,
दिनांकित ३ दिसंबर, २०१५।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्नलिखित प्रस्ताव अंतर्गस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड १ (२).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, जिस दिन से यह अधिनियम **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत होगा, उस दिन से प्रवृत्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ८ (ख),(ग), (घ), और (ङ) .—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८१ की धारा १८ की उप-धाराएँ (२), (४), (५) और (६) में संशोधन करना है, जिसमें उक्त धारा १८ के अधीन स्टाम्प के वितरण और विक्रय के प्रयोजनों के लिए तथा उसके नियंत्रण और विनियमन के लिए भी अभिकरण को विनियमनों द्वारा, विहित करने की शक्ति, महाराष्ट्र और गोवा विधिज्ञ परिषद को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
नागपूर,
दिनांकित १० दिसंबर, २०१५ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा. ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.